2018/HQ/Admin/RTI-191

(69)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
(नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-4269832, Fax: 0120-4193877

No: DFCC/Noida unit/Parliament Question &RTI/16/1379 Dated:- 11.05.2018

To
Rajesh Kumar Srivastava,
(M/s Kishore export P Ltd)
C-1802,Anjel murkery,
Ahinsha Khand-2,
Indrapuram,Ghaziabad-201010

Sub:- Providing information under the RTI Act-2005
Ref:- Your RTI application dt. 12.04.2018 received on 13.04.2018

In reference with your RTI application dated 12.04.2018, information has been received from concerned department and reply is enclosed herewith.

Kumar 11/5/2018
Dy.PM/APIO
DFCCIL/Noida Unit

Copy to:-
1. SK Panda,DGM/Admin/ PIO/RTI, CO/New delhi — For information and record
2. SDM/Sadar, GB Nagar

RECEIVED IN PIO'S OFFICE
Dy. No. 484/2018
Date: 11/5/18
Sign.:

S.No. 68/I
(3

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपकम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

Reply of RTI dated 12-04-2018 from Shri Rajesh Kr. Shrivastava, authorized representation of Kishore Exports Pvt. Ltd./C-1802, Angel Mercury, Ahinsha Khand-2, Indirapuram, Ghaziabad-201010

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध मे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी राजेश कुमार श्रीवास्तव के सूचना आवेदन दिनांक 12.04.2018 *(प्राप्त दिनांक 13.04.2018)* हेतू सूचनायें अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से मांगी गई है, प्रस्तरवार निम्नवतः हैः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20(ए)/20(ई) के अन्तर्गत, उक्त परियोजना हेतु ग्राम गुलिस्तानपुर की खसरा संख्या 1044 मि0 क्षेत्रफल 1.9328 है0 के ,अधिग्रहण के लिए, अधिसूचनाओं का प्रकाशन कमशः 20.05.2013 एवं 28.11.2013 को किया गया है। राजस्व अभिलेख खतौनी 1421–1426 फ0 वर्ष के खाता संख्या 146 पर अमलदरामद के अनुसार प्रार्थी– किशोर एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 के खाता संख्या 146 व गाटा संख्या 1044 मि0 के 1.0866 है0 पर 'रेल मंत्रालय भारत सरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया को कब्जा देने उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने का अंकन है।	
क	कृप्या अवगत कराने का कष्ट करें कि रेल मंत्रालय, भारत सरकार कि उक्त परियोजना हेतु किशोर एक्सपोर्ट प्रा0 लि0 के मालिकाना हक वाली खसरा संख्या 1044 मि0 क्षेत्रफल 6.7170 है0 में से कितना क्षेत्रफल अधिग्रहित किया गया है तथा कितने क्षेत्रफल का किस दिनांक को कब्जा लिया गया है और कितने अध्याप्त क्षेत्रफल का अभिनिर्णय किस दिनांक को घोषित किया गया है।	ग्राम गुलिस्तानपुर के गाटा संख्या 1044 में कमशः खाता संख्या 83 गाटा संख्या 1044म रकवा 0.3088 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 177 गाटा संख्या 1044म रकवा 1.0800 हैक्टेयर भारतीय रेल हेतू अभिनिर्णय दिनांक 25.03.2014 तथा संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 20.02.2015 द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त खसरे में अर्जित भूमि का भौतिक कब्जा दिनांक 15.04.2017 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय रेलवे को दिया जा चुका है।
ख	कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि गाटा संख्या 1044 मि0 क्षेत्रफल में प्रख्यापित क्षेत्रफल 1.9328 है0 में से अधिनिर्णय घोषित क्षेत्रफल 1.3888 क्षेत्रफल के "अन्तर क्षेत्रफल" (0.5440 है0) के विषय में विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया है? क्या उक्त क्षेत्रफल के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय द्वारा "डीनोटिफिकेशन का प्रख्यापन *(publication of denotification)* कराया गया है? यदि हां तो जिस 'असाधारण गजट' में अध्यापन कराया गया है, उसकी प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	डीएफसी कॉरीडोर रेलवे लाईन के निर्माण हेतू उक्त खसरे में केवल 1.3888 हैक्टेयर भूमि की ही आवश्यकता थी, जिसका अर्जन कर लिया गया है तथा अन्य कोई शेष भूमि की रेलवे विभाग को आवश्यकता नहीं है।

Madhup Kumar

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
ग	कृपया खसरा संख्या 1044 में अधिग्रहित क्षेत्रफल का नजरी नक्शा (मय भुजाओं की नाप के) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	खसरा संख्या 1044 में अधिग्रहित क्षेत्रफल का नजरी नक्शा उपर्युक्त फीस जमा करके इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
घ	स्थल पर खसरा संख्या 1044 मि0 में अधिग्रहित और अभिनिर्णय घोषित क्षेत्रफल का कब्जा लिए जाने हेतु चिन्हांकन प्रार्थी के अधिकार और मालिकाना हक वाले क्षेत्रफल में किया गया है जबकि खसरा संख्या 1044 मि0 में 10800 वर्ग मीटर का अभिनिर्णय प्रार्थी के हक में जबकि 3088 वर्ग मीटर का अभिनिर्णय अन्य काश्तकारों की भूमि बताते हुये घोषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी और विभाग की इस गलती के कारण प्रार्थी की घोर हकतलफी हो रही है। प्रार्थी की संपूर्ण भूमि 67170 वर्गमीटर बाउंड्री वॉल के अंदर स्थित है जिसमें अन्य किसी काश्तकार अथवा संस्था/विभाग का कोई मालिकाना हक नहीं है। अतएवः इस सम्बन्ध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 25.03.2014 व संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 20.02.2015 के कम में दूसरा संशोधित अभिनिर्णय पारित किया ज़ाएगा अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या? यदि हां तो कब तक? साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 20.02.2015 रेल मंत्रालय अभिनिर्णय, 2008 के किस प्रावधान के अन्तर्गत पारित किया गया है?	खसरा संख्या 1044 मि0 के मालिकाना हक के विषय मे इस कार्यालय मे कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, तथा इससे संबन्धित सूचना के लिए तहसील कार्यालय से सर्म्पक करें। संशोधित अभिनिर्णय दिनांक 20.02.2015 सक्षम प्राधिकारी द्वारा रकवे मे शुद्धि करने हेतू पारित किया गया है।
च	ग्राम गुलिस्तानपुर की खतौनी 1421–1426 फ0 वर्ष के खाता संख्या 146 पर किए गए अमलदरामद के अनुसार 10866 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर कब्जा परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है जबकि अभिनिर्णय 10800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के सम्बन्ध में घोषित किया गया है। कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि 66 वर्ग मीटर बढे हुए क्षेत्रफल का अभिनिर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब पारित किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों?	ग्राम गुलिस्तानपुर के उक्त गाटा संख्या 1044मि0 में भारतीय रेलवे को जितनी भूमि की आवश्यकता थी उसका अर्जन अभिनिर्णय दिनांक 25.03.2014/20.02.2015 के द्वारा किया जा चुका है, एवं राजस्व अभिलेखों में भी रेलवे विभाग के नाम कुल रकबा 1.3888 (0.3088+1.0800) हैक्टेयर अंकित है।

Madhup Kumar

(3/3)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (नोएडा यूनिट)
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपकम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. (Noida Unit)
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise
D-89, 1st Floor, Sector-2, Noida-201301
Ph: 0120-2542889, Fax: 0120-4193877

क0 सं0	प्रश्न	उत्तर
2.	भारत सरकार के असाधारण गजट में रेल मंत्रालय की प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 29 मई, 2015 / 01.06. 2015 के अनुसार ग्राम गुलिस्तानपुर की ''अकृषि'' प्रयोजन वाली खसरा संख्या 1044 क्षेत्रफल 0.44720 है0 का रेल संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 20(ई) के अन्तर्गत प्रख्यापन किया गया है। तथा प्रख्यापन, दिनांक से उक्त क्षेत्रफल 4472 वर्ग मीटर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अत्यांतिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित हो चुका है।	
क	उक्त के संदर्भ में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें कि उक्त अधिग्रहित क्षेत्रफल 4472 वर्ग मीटर का अभिनिर्णय सक्षम प्राधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा किस दिनांक को घोषित किया गया है? कृपया घोषित अभिनिर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।	अधिसूचना दिनांक 29.05.2015 के द्वारा ग्राम गुलिस्तानपुर के उक्त गाटा संख्या 1044 / 0.4472 हैक्टेयर की अधिसूचना त्रुटिवश जारी कर दी गयी थी, जबकि भारतीय रेलवे को उक्त खसरे में 1.388 हैक्टेयर के अलावा और कोई अतिरिक्त भूमि के अर्जन की आवश्यकता नहीं थी। अतः उक्त खसरे का कोई अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया और नियमानुसार समयावधि व्यतित हो जाने के कारण उक्त गाटे के सम्बन्ध में अर्जन की कार्यवाही स्वतः प्रभाव से समाप्त हो गयी।
ख	यदि उक्त क्षेत्रफल का अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है तो क्यों? यदि अभिनिर्णय घोषित नहीं किया जाना है अथवा रेल मंत्रालय को उक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है तो क्या रेल मंत्रालय उक्त क्षेत्रफल का 'डीनोटिफिकेशन' विहित रीति से अधिसूचित कराएगा? यदि हां तो कब तक? यदि नही तो क्यों?	

तदानुसार सूचित हों।

Madhup Kumar 10/05/18
(मधुप कुमार उपाध्याय)
उप–परियोजना प्रबन्धक / सिविल
डीएफसीसीआईएल / नोएडा

उप–मुख्य परियोजना प्रबन्धक /
सिविल

10/05/2018